भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2908

उत्तर देने की तारीख: गुरुवार,13 अगस्त, 2026

22 श्रावण,1948 (शक)

आंध्र प्रदेश में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम

2908. **श्री मस्तान राव यादव बीडाः**

क्या ***संस्कृति*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश के विरासत स्थलों के संबंध में 'एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0' कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं तथा उसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) राज्य में अपनाए गए स्थलों के गुणवत्तापूर्ण रखरखाव तथा आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्मारक (मॉन्यूमेंट) मित्रों/ निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं की सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है;

(ग) क्या नेल्लोर जिले के किसी विरासत अथवा पुरातत्वीय स्थल को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाने का विचार अथवा प्रस्ताव किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) अपनाए गए विरासत स्थलों तक अंतिम छोर संपर्क सुविधा तथा दिशासूचक संकेतकों (साइनेज) में सुधार कर पर्यटकों के लिए सुलभता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय ने एडॉप्ट-ए-हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों/न्यासों/समितियों आदि के साथ मिलकर कार्य करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करना है ताकि संरक्षित स्मारकों पर पर्यटकों का अनुभव बेहतर बनाने और उन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएँ विकसित/उपलब्ध कराई जा सके। देश भर में शामिल हितधारकों अथवा सहयोगी संस्थाओं द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मार्गदर्शन और उचित परामर्श से पर्यटकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना और उनका रख-रखाव करना है। इन सुविधाओं में पेयजल, शिशु-देखभाल कक्ष, बेंच, सुलभ-पथ, कूड़ादान, संकेतक, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम, प्रदीप्तिकरण और स्मारक परिसर की सफाई करना आदि शामिल हैं।

(ख): एडॉप्ट-ए-हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के तहत किसी भी संस्था को शामिल करने की प्रक्रिया एक पारदर्शी और व्यवस्थित होती है, इसका आरंभ समर्पित पोर्टल पर आवेदन करने और उसके बाद विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया करने से होती है।

प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन, इस उद्देश्य हेतु गठित अनुमोदन और कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है। संस्था द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुमोदन से और गुणवत्ता मानकों का पालन, विरासत मूल्यों की सुरक्षा और पर्यटक सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिए इसकी गहन निगरानी में की जाती हैं।

(ग) और (घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी संरक्षित स्मारक/स्थल गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, नेल्लोर जिले में स्थित किसी भी संरक्षित स्मारक/स्थल को गोद लेने का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आवश्यकता के अनुसार संरक्षित स्मारकों पर संकेतक स्थापित करता है।
